

फार्म VI (केवल इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत किए जाने के लिए)

बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत कारोबार का नया स्थान खोलने अथवा कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने (उसी शहर, कस्बे या गाँव को छोड़कर अन्य स्थान पर) की अनुमति के लिए आवेदन पत्र - बैंकारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949, नियम 12 फार्म VI

[नियम 12] (धारा 23)

पता: _____

दिनांक: _____

बैंकिंग विनियमन विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय कार्यालय

मुम्बई

महोदय,

हम इसके द्वारा बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार *कारोबार का नया स्थान खोलने /कारोबार के _____ स्थित वर्तमान स्थान को _____ से बदलकर _____ करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। हम आवश्यक सूचना इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट फार्म में नीचे दे रहे हैं ।

भवदीय,

हस्ताक्षर _____

1	बैंकिंग कंपनी का नाम:	
2	प्रस्तावित कार्यालय :- (निम्नलिखित जानकारी दें)	
	(क) शहर / कस्बे/ गांव का नाम : (यदि स्थान के एक से अधिक नाम हों, तो संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए)	
	(ख) मुहल्ले /स्थान का नाम :	
	(ग) (i) प्रखंड (ब्लॉक) : (ii) तहसील/तालुका : (iii) ज़िला : (iv) राज्य :	
	(घ) प्रस्तावित कार्यालय का स्तर (स्टेटस) :	
	(ङ) प्रस्तावित कार्यालय तथा वाणिज्यिक बैंक के निकटतम वर्तमान कार्यालय के बीच की दूरी, बैंक एवं केन्द्र /मुहल्ले के नाम सहित :	
	(च) 5 कि. मी. के घेरे में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों के नाम और उनके कार्यालयों की संख्या, उन केंद्रों के नाम के साथ जिनमें वे कार्यरत हों@	
3.	पिछला आवेदन : (यदि प्रस्तावित कारोबारी स्थान के संबंध में रिज़र्व बैंक को पहले कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसके ब्यौरे दें)	
4.	प्रस्तावित कार्यालय खोलने के लिए कारण : (प्रस्तावित कार्यालय के लिए ब्यौरेवार कारण बतायें तथा निम्नानुसार सांख्यिकी एवं अन्य आंकड़े प्रस्तुत करें, जिनका संकलन प्रस्तावित कार्यालय के लिए किया गया हो) (i) स्थान की जनसंख्या : (ii) कमान क्षेत्र का विवरण : (अर्थात् प्रस्तावित कार्यालय का परिचालन क्षेत्र) (क) कमान क्षेत्र की अनुमानित त्रिज्या (रेडियस) : (ख) जनसंख्या :	

(ग) कमान क्षेत्र में गांवों की संख्या :

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तावित कार्यालय के परिचालन क्षेत्र में कृषि, खनिज और औद्योगिक उत्पादन की तथा आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य :

पण्य का नाम	उत्पादन		आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य (₹)	मात्रा	मूल्य (₹)	मात्रा	मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6	7

(iv) यदि कृषि, खनिज अथवा औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं हों तो उनके ब्यौरे दें तथा वर्तमान उत्पादन, आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य पर उनके संभावित प्रभावों का उल्लेख करें।

(v) यदि मौजूदा बैंकिंग सुविधाएं अपर्याप्त समझी जायें, तो उसके कारण बतायें :

(vi) संभावनाएं :

(प्रस्तावित कारोबार के स्थान में 12 महीने के भीतर बैंकिंग कंपनी द्वारा किये जानेवाले न्यूनतम कारोबार की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार दर्शाएं)

(क) जमाराशियां :

(राशि हजार रुपयों में)

(ख) अग्रिम :

(राशि हजार रुपयों में)

5. वर्तमान कार्यालय के स्थान में परिवर्तन

(उस कार्यालय का सही स्थान बताएं, जिसे बंद करने का प्रस्ताव है तथा मद (2), (3) और (4) के अनुसार नये स्थान के ब्यौरे देते हुए उस स्थान की सही स्थिति बताएं जहां इस कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है)

6. व्यय :

(प्रस्तावित कार्यालय के संबंध में स्टाफ, परिसर, फर्नीचर, स्टेशनरी, विज्ञापन आदि पर पहले किये जा चुके अथवा प्रस्तावित व्यय की मात्रा। साथ ही, यह भी उल्लेख करें कि 12 महीनों में प्रस्तावित कार्यालय में बैंकिंग कंपनी को न्यूनतम कितनी आय होने की आशा है) *अनुमानित वार्षिक व्यय

विवरण	राशि ()
क)	स्थापना प्रभार
ख)	स्टेशनरी और विविध
ग)	किराया और भवन
घ)	जमाराशियों पर अदा किया जानेवाला व्यय
ड)	प्रधान कार्यालय से उधार ली गयी रु. की निधियों पर ब्याज @.....%
कुल	

अनुमानित वार्षिक व्यय

क) अग्रिमों पर ब्याज (₹) :

ख) कमीशन (₹) :

ग) विनिमय (₹) :

घ) प्रधान कार्यालय को दी गयी निधियों पर ब्याज (₹) :

7. अन्य विवरण :

(कोई अन्य अतिरिक्त तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी अपने आवेदन के समर्थन में बताना चाहे)

*जो भाग लागू न हो उसे काट दें।

@ यह जानकारी उन्हीं केंद्रों के आवेदन के मामले में प्रस्तुत की जानी है जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हो।

नोट :

1. 'कार्यालय' और 'कार्यालयों' शब्द इस फार्म में जहां कहीं भी आ रहे हैं, उनमें कारोबार का वह स्थान शामिल है/हैं जहां जमाराशि स्वीकार की जाती है, चेक भुनाया जाता है, धन उधार दिया जाता है या उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) में उल्लिखित कारोबार किसी अन्य रूप में किया जाता है।

2. यदि आवेदन कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने के लिए है तो मद (5) का उत्तर दिया जाना चाहिए।

3. यदि कोई बैंकिंग कंपनी किसी मद के संबंध में पूरे ब्यौरे देने में असमर्थ या अनिच्छुक है तो इस छूट के कारण दिये जायें।
4. मद (2), (3), (4), (5) और (6) में पूछी गयी जानकारी उस स्थिति में प्रत्येक कार्यालय के बारे में अलग- अलग दी जाये जहां आवेदन एक से अधिक कार्यालय खोलने या स्थान परिवर्तन के लिए हो।
5. 'प्रशासनिक कार्यालय' के स्थान के परिवर्तन के मामले में जहां किसी बैंकिंग कारोबार का लेनदेन नहीं किया जाता है या किया जाना प्रस्तावित नहीं है (जैसे 'पंजीकृत कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय') वहां पत्र के रूप में केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें परिवर्तन के लिए कारणों का उल्लेख किया गया हो ।